बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

संविदा के आधार पर कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर अस्थायी नियोजन संबंधी सूचना।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना अन्तर्गत कनीय अभियंता (असैनिक) के स्थायी रिक्त 214 पदों के विरूद्ध संविदा पर नियोजन हेतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सामान्य प्रशासन विभाग) के संकल्प–2401 दिनांक–18.07.2007 के आलोक में वांछित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से Online आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

2. **योग्यता/पात्रता** :– असैनिक अभियंत्रण में डिप्लोमा योग्यताधारी। [बिहार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक/यांत्रिक) संवर्ग भर्ती (संशोधन) नियमावली, 2018 में निहित शर्तो के अनुसार]।

3. **चयन की प्रक्रिया** :– www.phed.bih.nic.in पर प्रकाशित विज्ञापन अन्तर्गत मेधा सूची का निर्धारण संबंधी प्रक्रिया के आधार पर।

4. **नियोजन की अवधि** :– नियोजन की तिथि से अधिकतम एक वर्ष अथवा उक्त स्थायी पदों के विरूद्ध नियमित नियुक्ति होने तक (जो पहले हो) की होगी।

5. **उम्र सीमा** :– कनीय अभियंता (असैनिक) के लिए चयन के वर्ष की पहली जनवरी, 2019 को न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष/महिला) के लिए 40 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष।

6. Online आवेदन दिनांक– 15.01.2019 से दिनांक– 31.01.2019 अपराह्न 5.00 बजे तक ही स्वीकार किये जायेंगें। निर्धारित समय के उपरांत आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

7. विभाग विज्ञापन एवं शर्तों को संशोधित/रद्द करने का सर्वाधिकार रखता है।

8. विस्तृत जानकारी एवं Online आवेदन हेतु विभागीय वेबसाइट www.phed.bih.nic.in देखा जा सकता है।

11.1.19

(सतीश चन्द्र मिश्र)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत कनीय अभियंता (असैनिक) के स्थायी रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन–

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया में अपरिहार्य विलंबता एवं विभाग के अंतर्गत जलापूर्ति योजनाओं एवं सरकार के सात निश्चय के अन्तर्गत सम्मिलित ''हर घर नल का जल'' के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा कार्यहित में तथा विशेष परिस्थिति में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में स्थायी रिक्त पद के विरुद्ध अधिकतम एक वर्ष अथवा उक्त स्थायी पदों के विरूद्ध नियामित नियुक्ति होने तक (जो पहले हो) के लिए संविदा के आधार पर नियोजन किये जाने हेतु वांछित योग्यताधारकों से ऑनलाइन (Online) आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की वेबसाइट www.phed.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

1. रिक्ति–

विभागीय पत्रांक–187 एवं 188 दिनांक–13.08.18 द्वारा बिहार तकनीकी सेवा आयोग को प्रेषित अधियाचना के विरूद्ध

पद का नाम	कुल संख्या	अनारक्षित	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़े वर्ग की महिला
कनीय अभियंता (असैनिक)	214	118 (34 महिलाओं के लिए आरक्षित)	41 (12 महिलाओं के लिए आरक्षित)	47 (8 महिलाओं के लिए आरक्षित)	8

(क) उक्त अधियाचित पदों के विरुद्ध संविदा नियोजन में बिहार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, अवर अभियंत्रण सेवा संवर्ग नियमावली के अनुरूप राज्य के अधीन सरकारी पोलिटेक्निक संस्थानों से असैनिक डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों के लिए 40 प्रतिशत पद कोटिवार निम्न प्रकार आरक्षित रहेंगी।

कुल संख्या	अनारक्षित	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़े वर्ग की महिला
85	47 (14 महिलाओं के लिए आरक्षित)	16 (5 महिलाओं के लिए आरक्षित)	19 (3 महिलाओं के लिए आरक्षित)	3

(ख) उक्त पदों में राज्य सरकार द्वारा प्रावधानित दिव्यांगता संबंधित आरक्षण के अनुपालन के क्रम में उक्त रोस्टर में निम्नवत् रिक्ति बनती है :–

	दृष्टि दिव्यांग	अस्थि दिव्यांग	मुक बधिर दिव्यांग	मनोविकार दिव्यांग
पदों की संख्या	2	2	2	2

(ग) उक्त पदों में राज्य सरकार द्वारा प्रावधानित स्वतंत्रता सेवानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी के लिए संबंधित आरक्षण के अनुपालन में उक्त रोस्टर में कुल–5 रिक्ति बनती है।

2. अर्हतायें–

(i) आवेदक भारत का नागरिक हो।

(ii) शैक्षणिक योग्यता–

(क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थानों के असैनिक अभियंत्रण (Civil Engineering) के डिप्लोमाधारी जिन्हें संबंधित तकनीकी शिक्षा परिषद्/विश्वविद्यालय के द्वारा डिप्लोमा प्रदत्त हो, अथवा

(ख) UGC Act के प्रावधानों के अन्तर्गत स्थापित DEEMED University द्वारा Non-Distance Mode में असैनिक अभियंत्रण में प्रदत्त डिप्लोमा बशर्ते कि उक्त DEEMED University को असैनिक अभियंत्रण में डिप्लोमा पाठ्यक्रम करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वीकृति प्राप्त हो।"

3. **उम्र सीमा**– कनीय अभियंता (असैनिक) के लिए चयन के वर्ष की पहली जनवरी, 2019 को न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष/महिला) के लिए 40 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष।

(सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0–62 दिनांक–05.01.2007 के आलोक में निःशक्तों को उक्त अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षो की छुट अनुमान्य होगी)।

4. **पारिश्रमिकः**– लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में संविदा पर नियोजित कनीय अभियंताओं (असैनिक/यांत्रिक) को पारिश्रमिक के रूप में 27,000/– (सताईस हजार) रुपये प्रतिमाह अथवा सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय–समय पर अनुमान्य अनुमोदित दरों पर भुगतान किया जाएगा।

5. शर्तेंः–

(क) संविदा के आधार पर नियोजन अधिकतम एक वर्ष के लिए की जाएगी।

(ख) ऐसे नियोजित कनीय अभियंता सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे और सरकारी सेवक को अनुमान्य किसी भी सुविधा के वे हकदार नहीं होंगे। संविदा के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमितिकरण का इनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

(ग) यदि संविदा की अवधि समाप्ति के पूर्व उसका विस्तार नहीं हो तो ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी। इस हेतु कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

(घ) इस प्रकार का नियोजन संविदा अवधि की समाप्ति के पूर्व उभयपक्षों द्वारा एक माह की पूर्व सूचना देकर या एक माह की संविदा राशि एक मुश्त देकर समाप्त की जा सकेगी।

(च) ऐसे नियोजित कनीय अभियंताओं को सरकार द्वारा समय–समय पर संविदा कर्मियों के लिए निर्धारित सुविधाएँ, छुट्टी इत्यादि देय होगी।

(छ) नियोजन से पूर्व नियमानुसार आवेदक को असैनिक शल्य चिकित्सा (सिविल सर्जन) द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना होगा।

(ज) नियोजन की स्वीकृति एकरारनामा के आधार पर की जायेगी। इसके लिए संविदा पर रखे जाने के पूर्व चयनित अभ्यर्थी को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के साथ विहित प्रपत्र में एकरारनामा करना होगा जिसके स्वीकृति एवं अस्वीकृति का सर्वाधिकार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।

(झ) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में पूर्व में नियोजित कनीय अभियंता (असैनिक) जो बिना औपचारिक सूचना के पदत्याग कर चुके हैं अथवा विभाग द्वारा उनका नियोजन समाप्त किया जा चुका है वे इसके लिए पात्र नहीं हैं।

(ञ) कनीय अभियंता (असैनिक) पद के लिए अभ्यर्थी केवल एक ही बार आवेदन दे सकेंगे। एक अभ्यर्थी से केवल एक ही आवेदन स्वीकृत होगा। एक से ज्यादा आवेदन किये जाने पर आवेदन रद्द माना जायेगा।

(ट) संविदा पर नियोजित कर्मियों के विरुद्ध संविदा शर्तो के उल्लंघन के आरोप में सम्यक कार्रवाई के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग सक्षम प्राधिकार रहेगा।

मेधा सूची का निर्धारणः–

(क) (i) कनीय अभियंता (असैनिक / यांत्रिक) में भर्ती से संबंधित अधिसूचित बिहार लोक स्वास्थ्य अनियंत्रण विभाग, अवर अभियंत्रण (असैनिक / यांत्रिक) संवर्ग भर्ती नियमावली के अनुरूप असैनिक डिप्लोमा योग्यता के प्रतिशत प्राप्तांक के लिए– 75 अंक

(ii) वैसे अभ्यर्थी जिनका असैनिक डिप्लोमा, Grade point में प्रदत्त है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के प्रावधानों के आलोक में Grade point को Equivalent Percentage में निम्न फार्मूला के आधार पर परिवर्तित किया जाएगा।

$$\text{Percentage} = (\text{Grade Point} - 0.75) \times 10$$

(i) अथवा (ii) द्वारा प्राप्त प्रतिशत प्राप्तांक के लिए प्वाइंट की गणना निम्न प्रकार होगी–

डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता के प्रतिशत प्राप्तांक X 0.75

(ख) बिहार सरकार या बिहार सरकार के अधीन किसी उपक्रम / निगम / निकाय / प्राधिकार / स्वशासी निकाय में संविदा के आधार पर कनीय अभियंता (असैनिक) के पद कार्य करने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को अनुभव की निमित्त अधिकतम अधिमान्यता (प्रति कार्यरत वर्ष के लिए 5 अंक, जिसकी अधिकतम सीमा–25 अंक की होगी। किसी वर्ष के अंश के लिए गणना, दिवसों की संख्या में 365 से भाग देकर प्राप्त की जाएगी)– **25 अंक**

इस हेतु प्वाइंट की गणना निम्न प्रकार होगी–

अनुभव प्राप्त वर्षो की संख्या X 5

नोट :– अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि वे कोई भी फर्जी / जाली प्रमाण पत्र के आधार पर उक्त आवेदन नहीं भरेंगें, अन्यथा किसी भी स्तर से प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी एवं उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आवेदन की प्राप्तिः– आवेदन का लिंक लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के वेबसाइट www.phed.bih.nic.in पर उपलब्ध है तथा आवेदन पत्र ऑनलाइन ही स्वीकार किये जाएंगे।

Online आवेदन दिनांक–......15.01.19.. से दिनांक–......31.01.19........ अपराह्न 5:00 बजे तक ही स्वीकार किये जायेंगें। निर्धारित समय के उपरांत आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

Online आवेदन के उपरान्त अभ्यर्थी आवेदन का फाइनल प्रिंट निकाल कर रख लेंगे और भविष्य में किसी भी प्रकार के पत्राचार के आवेदन पत्र में अंकित निबंधन संख्या का उल्लेख करेंगे।

नोट :– विभाग विज्ञापन एवं शर्तों को संशोधित/रद्द करने का सर्वाधिकार रखता हैं।

11.1.19

(सतीश चन्द्र मिश्र)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव